राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 858/2023

भंवरलाल —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. उपवन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (प्रथम), रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सवाईमाधोपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.02.2023
आदेश की दिनांक : 22.03.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री ललित शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वृक्षपाल के पद पर बीट कुशालीपुरा, रेंज फलोदी, सवाईमाधोपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2022 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण बीट कुशालीपुरा, रेंज फलोदी, सवाईमाधोपुर से बीट इण्डाला, रेंज खण्डार, सवाईमाधोपुर किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 19.01.2022 (अनुलग्नक—1) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.12.2022 (अनुलग्नक—2) द्वारा 6 व्यक्तियों को ईडीसी गाइड एवं 9 व्यक्तियों को वन्य जीव गाइड के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दी गई। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा राजस्थान वन विभाग श्रमिक संघ के नाम से एक संघ बनाया गया है, जिसमें अपीलार्थी संरक्षक है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.12.2022 (अनुलग्नक—3) द्वारा उक्त आदेश दिनांक 08.12.2022 (अनुलग्नक—2) को रद्द करने एवं उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए एक अभ्यावेदन लिखा क्योंकि उक्त ईडीसी गाइड एवं वन्य जीव गाइड को पंजीकृत करने की अनुमति देने के समय अनियमितताए की गई है। उसके बाद दिनांक 29.12.2022, 31.12.2022, 06.01.2023 एवं 13.01.2023 को

समाचार पत्रों में समय–समय पर कुछ समाचार प्रकाशित किए गए (अनुलग्नक–4)। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 03.01.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया। अपीलार्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–6) द्वारा विस्तृत कारण बताया है। अपीलार्थी के पिता की उम्र लगभग 80 वर्ष है और वह लकवे एवं अन्य वृद्धावस्था की बीमारियों से पीड़ित है। अपीलार्थी के अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई सदस्य नहीं है। अपीलार्थी की पत्नी न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित है (अनुलग्नक–7)।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य